

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 3681-पीबीआर/13

जिला गुना

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
आदि के
हस्ताक्षर

7-5-2014

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :-





1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण

2 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन





न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

1809/2013 जिला- गुना

रिव्यू - 3681- PBR/13

- 1- श्रीमती भरोसीबाई वैवा स्व. कैलाश किरार,
 - 2- बनवारीलाल पुत्र स्व. कैलाश किरार,
 - 3- महेश बाबू पुत्र स्व. कैलाश किरार
 - 4- सविताबाई पुत्री स्व. कैलाश किरार
 - 5- राधाबाई पुत्री स्व. कैलाश किरार
- निवासीगण- ग्राम सूजाखेड़ी, तहसील व
जिला गुना (म.प्र)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला-गुना

..... अनावेदक

माननीय न्यायालय अध्यक्ष राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1809/PBR/2012 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

\ * माननीय महोदय,